

OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
SOUTH BASTAR DANTEWADA (C.G.)

Criminal
Work
Distribution
Order

W.E.F..... 2026

(Smt. Apurva Dangi)
Chief Judicial Magistrate
SOUTH BASTAR Dantewada (C.G.)

// न्यायिक अधिकारीगण को आबंटित आरक्षी केन्द्र की सूची //

क्र०	न्यायिक अधिकारी का नाम	आबंटित आरक्षी केन्द्र
01	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	01- कोतवाली, दंतेवाड़ा 02- गीदम 03- बारसूर 04- महिला थाना दंतेवाड़ा 05- अ०जा०क० थाना दंतेवाड़ा 06- यातायात विभाग 07- आर.पी.एफ. दंतेवाड़ा 08- आर.पी.एफ. किरन्दुल 09- आबकारी वृत्त दंतेवाड़ा
02	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	01- कटेकल्याण 02- अरनपुर 03- कुआकोण्डा 04- फरसपाल
03	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	01 - बचेली 02- भांसी 03- किरन्दुल 04- आबकारी वृत्त बचेली
04	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	कोई आरक्षी केन्द्र आबंटित नहीं किया गया है।
05	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	कोई आरक्षी केन्द्र आबंटित नहीं किया गया है।

Apurva
02/04/2024
(श्रीमती अपूर्वा दाँगी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

न्यायालय-श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०

क्रमांक /क्यू/ मु०न्या०मजि०/2026

दंतेवाड़ा, दिनांक- 01/04/2026

आपराधिक कार्यविभाजन आदेश

मैं श्रीमती अपूर्वा दाँगी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० आपराधिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में तथा माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के नियंत्रण के अधीन रहते हुए राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य कार्य के सुचारु संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यविभाजन करती हूँ, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा-

क्रं.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	आरक्षी केन्द्र	आपराधिक कार्यविभाजन का कार्यक्षेत्र
01	02	03	04
01	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	01-कोतवाली, दंतेवाड़ा 02-गीदम 03-बारसूर 04-महिला थाना, दंतेवाड़ा 05-अ०जा०क० थाना दंतेवाड़ा 06-यातायात विभाग 07-आर.पी.एफ. दंतेवाड़ा 08-आर.पी.एफ. किरन्दुल 09-आबकारी वृत्त दंतेवाड़ा	01. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरणों (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्रधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त हैं को छोड़कर) रिमांड, आवेदन पत्र, अभियोग पत्र, इस्तगासा, संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के तहत निराकृत किये जाने वाले प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण की जांच, विचारण एवं उपार्पित करना। 02. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का संज्ञान लेना एवं विचारण करना। 03. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण थाना दंतेवाड़ा (अ०जा०क०) से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण (ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्रधिकार माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को प्राप्त हैं, को छोड़कर) का निराकरण करना । 04. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत ऐसे समस्त प्रकरण, जिसमें शराब की

		मात्रा 05 बल्क लीटर या उससे अधिक हो तथा आबकारी अधिनियम की धारा 49 (क) से संबंधित प्रकरणों का संज्ञान लेना और उनका विचारण करना। 05. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों एवं वन विभाग जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से उद्धृत सभी प्रकरणों का संज्ञान लेना एवं उनका विचारण करना। 06. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत खान अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रकरणों तथा खाद्य विभाग जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से उद्धृत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय प्रकरणों का संज्ञान लेना एवं उनका विचारण करना। 06. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत सभी प्रकार के विशेष अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, इस्तगासा एवं परिवाद पत्र के संदर्भ में समुचित कार्यवाही करना। 07. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत खात्मा/खारिजी प्रकरणों के संबंध में समुचित आदेश पारित करना। 08. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा को सूचना देकर चलित न्यायालय लगाना। 09. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944, विदेशी व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम 1992, कम्पनी अधिनियम 1956, धनकर अधिनियम 1957, दानकर अधिनियम 1958, आयकर अधिनियम 1961, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 एवं विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरणों का विचारण करना। 10. जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा स्थित सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 354-क, 354-ख 354-ग, 354-घ, 509-क, 509-ख एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 78,
--	--	--

			79 से संबंधित प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण करना। 11. नगर पालिका दंतेवाड़ा से उद्धृत समस्त प्रकरणों का संज्ञान लेना एवं उनका विचारण करना। 12. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत तेजाब द्वारा चोट पहुंचाने के प्रकरणों का निराकरण करना। 13. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। 14. ऐसे प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में वर्णित नहीं हैं और ऐसे प्रकरण जो किसी विधि या अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, का निराकरण करना।
02	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	01- कटेकल्याण 02- अरनपुर 03- कुआकोण्डा 04- फरसपाल	01. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत (रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित प्रकरणों एवं अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) आपराधिक प्रकरणों के रिमांड, आवेदन पत्र, अभियोग पत्र, इस्तगासा, संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के तहत निराकृत किये जाने वाले प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण की जांच, विचारण एवं उपार्पित करना। 02. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का संज्ञान लेना एवं विचारण करना। 03. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। 04. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा को सूचना देकर चलित न्यायालय लगाना। 05. जिला न्यायालय दंतेवाड़ा के मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी दंतेवाड़ा के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आपराधिक/विविध आपराधिक एवं अनुषांगिक कार्यवाहियों का संपादन करना।
03	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा		माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना।

	छ०ग०		
04	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०		माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना।
05	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	01- बचेली 02- भांसी 03- किरन्दुल 04-आबकारी वृत्त बचेली	1. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत (रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित प्रकरणों एवं अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों के रिमांड, आवेदन पत्र, अभियोग पत्र, इस्तगासा, संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के तहत निराकृत किये जाने वाले प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण की जांच, विचारण एवं उपार्पित करना। 2. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का संज्ञान लेना एवं विचारण करना। 3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा समय- समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण करना। 4. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा को सूचना देकर चलित न्यायालय लगाना। 5. स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 354-क, 354-ख 354-ग, 354-घ, 509-क, 509-ख एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 78, 79 से संबंधित प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण करना।

//आवश्यक दिशा निर्देश //

01. ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो या शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
02. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के मुख्यालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश में रहने की दशा में आपराधिक/अत्यावश्यक कार्य का संपादन **परिशिष्ट "ए"** के अनुसार संपादित किया जाएगा।
03. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के मुख्यालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा अवकाश दिवस में रिमाण्ड कार्य का संपादन **परिशिष्ट "बी"** के अनुसार संपादित किया जाएगा।

04. इस कार्यविभाजन आदेश में न्यायिक अधिकारियों को आबंटित आरक्षी केन्द्रों के संक्षिप्त विचारण प्रकरण(समरी केस) उनके अवकाश के दशा में परिशिष्ट "ए" के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीकृत एवं निराकृत किये जाएंगे।
05. किशोर न्याय बोर्ड दंतेवाड़ा में प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य का पद रिक्त होने से या उनके अवकाश पर होने की दशा में रिमाण्ड कार्य एवं अन्य अत्यावश्यक कार्य का संपादन परिशिष्ट "बी" के अनुसार कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारियों के द्वारा संपादित किया जायेगा।
06. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ०ग० के ज्ञापन क्रमांक 14754 दिनांक 08/11/2023 एवं शुद्धी पत्र क्रमांक- 15250 दिनांक 23/11/2023 के परिपालन में किये जाने वाले कार्य परिशिष्ट "सी" के अनुसार संपादित किये जायेंगे।
07. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कथन/संस्वीकृति (लैंगिक अपराध के मामले को छोड़कर) समस्त मामलों में अभिलिखित करने के कार्य परिशिष्ट "डी" के अनुसार संपादित किये जायेंगे।
08. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं धारा- 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कथन/संस्वीकृति (पाक्सो एक्ट एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय लैंगिक अपराध के मामले में एवं किशोर न्याय बोर्ड दंतेवाड़ा द्वारा विचारणीय समस्त मामलों में) अभिलिखित करने के कार्य परिशिष्ट "डी-01" के अनुसार संपादित किये जायेंगे।
09. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं धारा- 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कथन/संस्वीकृति (न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय लैंगिक अपराध के मामले में) अभिलिखित करने के कार्य परिशिष्ट "डी-02" के अनुसार संपादित किये जायेंगे।
10. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों के एन०डी०पी०एस० अधिनियम 1985 के प्रकरणों (ऐसे मामले जो माननीय विशेष न्यायालय एन०डी०पी०एस० एक्ट द्वारा विचारणीय हैं) में जप्तशुदा वस्तुओं की इन्वेंटरी तैयार किये जाने के कार्य परिशिष्ट "इ" के अनुसार संपादित किये जायेंगे।
11. राजस्व जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के समस्त आरक्षी केन्द्रों के एन०डी०पी०एस० अधिनियम 1985 के प्रकरणों (ऐसे मामले जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं) जप्तशुदा वस्तुओं की इन्वेंटरी तैयार किये जाने का कार्य परिशिष्ट "इ-01" के अनुसार संपादित किये जायेंगे।

स्थान- दंतेवाड़ा

दिनांक-01/04/2026

Signature
01/04/2026
(श्रीमती अपूर्वा दोगी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

[illegible]

टीप- अवकाश की दशा में उक्त अनुसार मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता की दशा में जिला मुख्यालय दंतवाड़ा में उपलब्ध कोई भी मजिस्ट्रेट अथवा सिविल न्यायालय बचेली के मजिस्ट्रेट अत्यावश्यक कार्य संपन्न कर सकेंगे।

//परिशिष्ट-“बी”//

अवकाश दिवस में रिमाण्ड कार्य

क्रं.	दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम पदनाम	स्तम्भ क्रमांक 03 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्तम्भ क्रमांक 03 एवं 04 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्तम्भ क्रमांक 03, 04 एवं 05 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम
01	02	03	04	05	06
01	दिनांक 01 से दिनांक 10 तक	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
02	दिनांक 11 से दिनांक 20 तक	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
03	दिनांक 21 से दिनांक 30-31 तक	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०

टीप- अवकाश दिवस में उक्त अनुसार मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता की दशा में या पुलिस रिमाण्ड प्रस्तुत होने की दशा में जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में उपलब्ध विधि अनुसार अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा सिविल न्यायालय बचेली के मजिस्ट्रेट रिमांड दे सकेंगे एवं अत्यावश्यक कार्य संपन्न कर सकेंगे।

//परिशिष्ट-“सी”//

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ०ग० के ज्ञापन क्रमांक 14754 दिनांक 08/11/2023 एवं शुद्धी पत्र क्रमांक- 15250 दिनांक 23/11/2023 के परिपालन में किये जाने वाले कार्य

क्रं.	अवकाश / अनुपस्थित रहने वाले न्यायाधीश का नाम एवं पदनाम	स्तम्भ क्रमांक 02 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्तम्भ क्रमांक 02 एवं 03 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्तम्भ क्रमांक 02, 03 एवं 04 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम
01	02	03	04	05
01	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
02	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
03	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
04	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०

टीप:- उपरोक्त दिये गये तालिका के अनुसार लिंक न्यायाधीश अवकाश/अनुपस्थित रहने वाले न्यायाधीश के न्यायालय में उस दिन उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य, यदि संभव हो तो, अभिलिखित करेंगे, यदि साक्षियों का साक्ष्य लेना संभव न हो तो साक्षी को लोक सेवक न होने के दशा में पाबंद करेंगे तथा अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के कार्य पर वापस आने (ज्वाइन करने) की तिथि से

03 दिवस के ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देंगे। लिंक न्यायाधीश अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के सभी दांडिक प्रकरणों को देखेंगे तथा उनकी सुनवाई संभव न होने पर अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के कार्य पर वापस आने (ज्वाइन करने) की तिथि से 03 दिवस के ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देंगे तथा किसी भी दशा में ऐसे प्रकरणों में प्रस्तुतकार द्वारा स्थगन नहीं दिया जायेगा।

//परिशिष्ट-“डी”//

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं धारा- 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कथन/ संस्वीकृति (लैंगिक अपराध के मामलो को छोड़कर) समस्त मामलों में

क्र.	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक अधिकारी का नाम	स्तम्भ क्रमांक 03 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कथन/संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार	स्तम्भ क्रमांक 03 एवं 04 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कथन/संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार	स्तम्भ क्रमांक 03, 04 एवं 05 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कथन/संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार
01	02	03	04	05	06
01	01- सिटी कोतवाली 02- गीदम 03- बारसूर 04- महिला थाना 05-अ०जा०क० थाना	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
02	01- कटेकल्याण 02- अरनपुर 03- कुआकोण्डा 04- फरसपाल	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०

03	01- भांसी 02- बचेली 03- किरन्दुल	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
----	--	---	---	---	---

//परिशिष्ट-“डी”-01”//

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं धारा- 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कथन/संस्वीकृति (पाक्सो एक्ट एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय लैंगिक अपराध के मामले में एवं किशोर न्याय बोर्ड दंतेवाड़ा द्वारा विचारणीय समस्त मामलों में)

क्र.	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक अधिकारी का नाम	स्तम्भ क्रमांक 3 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कथन/संस्वी कृति अभिलिखित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार	स्तम्भ क्रमांक 03 एवं 04 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कथन/संस्वी कृति अभिलिखित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार	स्तम्भ क्रमांक 03, 04 एवं 05 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कथन/संस्वी कृति अभिलिखित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार
01	02	03	04	05	06
01	01- सिटी कोतवाली 02- गीदम 03- बारसूर 04- महिला थाना 05-अ०जा०क० थाना	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
02	01- कटेकल्याण 02- अरनपुर 03- कुआकोण्डा 04- फरसपाल	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०

03	01- भांसी 02- बचेली 03- किरन्दुल	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
----	--	--	--	--	--

//परिशिष्ट-“डी-02”//

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं धारा- 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
के कथन/संस्वीकृति (न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय लैंगिक अपराध के मामलो में)

क्र.	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक अधिकारी का नाम	स्तम्भ क्रमांक 03 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कथन/संस्वीकृ ति अभिलिखित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम	स्तम्भ क्रमांक 03 एवं 04 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कथन/संस्वीकृ ति अभिलिखित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम	स्तम्भ क्रमांक 03 , 04 एवं 05 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कथन/संस्वी कृति अभिलिखित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम
01	02	03	04	05	06
01	01-सिटी कोतवाली 02- गीदम 03-बारसूर 04-महिला थाना 05 अ०जा०क० थाना	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
02	01-कटेकल्याण 02-अरनपुर 03-कुआकोण्डा 04-फरसपाल	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०

03	01- भांसी 02- बचेली 03- किरन्दुल	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
----	--	--	---	--	---

//परिशिष्ट-“इ”//

एन०डी०पी०एस० अधिनियम 1985 के प्रकरणों (ऐसे मामले जो माननीय विशेष न्यायालय
एन०डी०पी०एस० एक्ट द्वारा विचारणीय है) में जप्तशुदा वस्तुओं की इन्वेंटरी का कार्य

क्र.	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक अधिकारी का नाम	स्तम्भ क्रमांक 03 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इन्वेंटरी तैयार करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार	स्तम्भ क्रमांक 03 एवं 04 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इन्वेंटरी तैयार करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार	स्तम्भ क्रमांक 03, 04 एवं 05 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इन्वेंटरी तैयार करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार
01	02	03	04	05	06
01	1-सिटी कोतवाली 02- गीदम 03- बारसूर 04-महिला थाना 05 अ०जा०क०थाना	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
02	01- कटेकल्याण 02- अरनपुर 03- कुआकोण्डा 04- फरसपाल	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०

03	01- भांसी 02- बचेली 03- किरन्दुल	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
----	--	---	---	---	---

//परिशिष्ट-“इ-01”//

एन०डी०पी०एस० अधिनियम 1985 के प्रकरणों (ऐसे मामले जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं) में जप्तशुदा वस्तुओं की इन्वेंटरी का कार्य

क्र.	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक अधिकारी का नाम	स्तम्भ क्रमांक 03 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इन्वेंटरी तैयार करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार	स्तम्भ क्रमांक 03 एवं 04 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इन्वेंटरी तैयार करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार	स्तम्भ क्रमांक 03, 04 एवं 05 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में इन्वेंटरी तैयार करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम क्रमानुसार
01	02	03	04	05	06
01	01-सिटी कोतवाली 02- गीदम 03- बारसूर 04-महिला थाना 05-अ०जा०क० थाना	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
02	01- कटेकल्याण 02- अरनपुर 03- कुआकोण्डा 04- फरसपाल	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०

03	01- भांसी 02- बचेली 03- किरन्दुल	सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
----	--	---	---	---	--

पृष्ठांकन क्रं- / क्यू/मु०न्या०मजि०/2026
प्रतिलिपि -

दंतेवाड़ा, दिनांक 01/04/2026

- माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर प्रेषित।
- माननीय प्रथम/ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर प्रेषित।
- माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।
- माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय नक्सल) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।
- श्रीमान जिला दण्डाधिकारी (क्लेक्टर) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला बीजापुर छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
- सुश्री मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
- श्री हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
- श्री सुमित कुमार नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
- सुश्री सीमा नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
- जिला अभियोजन अधिकारी दक्षिण बस्तर छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, जिला/ तहसील अधिवक्ता संघ, दंतेवाड़ा एवं बचेली की ओर सूचनार्थ।
- जिला आबकारी अधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
- वन संरक्षक/ परिक्षेत्राधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
- सर्व थाना प्रभारी पुलिस जिला दंतेवाड़ा को सूचनार्थ।
- असिस्टेंट प्रोग्रामर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला न्यायालय के बेवसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

स्थान- दंतेवाड़ा
दिनांक- 01/04/2026

(श्रीमती अपूर्वा दाँगी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०